

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 320]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 10 जून 2021 — ज्येष्ठ 20, शक 1943

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 2 जून 2021

### अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-32/2020/29-1.— भारत सरकार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 29 जून, 2017 मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण का विनियम और कदाचारों की रोकथाम) आदेश, 2005 के खण्ड 6 (ए) 1 के अनुसरण में जारी अधिसूचना दिनांक 30 अप्रैल, 2019 “परिवहन प्रयोजन हेतु हाई स्पीड डीजल के साथ मिश्रण के लिए जैव डीजल की बिक्री हेतु दिशा-निर्देश 2019” के प्रावधानों के संदर्भ में राज्य शासन एतद्वारा निम्नलिखित अधिसूचित करती है —

उक्त दिशा-निर्देश में —

1. कंडिका 4 (i) में जैव डीजल (बी-100) की खुदरा बिक्री हेतु अनुमति के लिए प्राधिकृत अधिकारी जिला कलेक्टर होंगे ;
2. कंडिका 4 (x) में जैव डीजल की बिक्री करने वाले खुदरा बिक्री केन्द्रों की जांच, प्रवेश, तलाशी, अभिग्रहण आदि के लिए —

छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का कोई अधिकारी जो खाद्य निरीक्षक के पद से निम्न पद का ना हो या राजस्व विभाग का कोई अधिकारी जो नायब तहसीलदार के पद से निम्न पद का ना हो या पुलिस विभाग का कोई अधिकारी जो उप निरीक्षक के पद से निम्न पद का ना हो या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत तेल कंपनी या तेल कंपनी का कोई ऐसा अधिकारी जो विक्रय अधिकारी से निम्न पद का ना हो, परिवहन प्रयोजन हेतु हाई स्पीड डीजल के साथ मिश्रण के लिए जैव डीजल की बिक्री हेतु दिशा-निर्देश 2019 के उपबंधों के अनुपालन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से खुदरा बिक्री केन्द्रों की जांच, प्रवेश, तलाशी, अभिग्रहण आदि कर सकेगा ;

3. कंडिका 4 (xiv) के प्रावधान के क्रियान्वयन हेतु राज्य में जैव-डीजल के खुदरा विक्रेता द्वारा जिन जैव-डीजल विनिर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं से जैव-डीजल प्राप्त किया जावेगा, उनका ऑनलाईन पंजीयन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की वेबसाइट पर होगा, तत्पश्चात् ही इनके द्वारा खुदरा विक्रेता को जैव-डीजल की आपूर्ति की जा सकेगी ;

4. कंडिका 4 (xvi) के अनुपालन में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जैव-डीजल की खुदरा बिक्री हेतु अनुमति नहीं दिये जाने से संबंधित शिकायत का समाधान सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

की अध्यक्षता में गठित अपीलीय प्राधिकरण द्वारा की जावेगी, जिसमें संचालक खाद्य तथा सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के एक-एक प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 2nd June 2021

#### NOTIFICATION

No. F 4-32/2020/29-1.— With references to provisions of notification date 30 April 2019 "Guidelines for sale of Bio-diesel for blending with High speed diesel for transporting purposes, 2019" issued in pursuance of notification of clause 6 (A) 1, Motor spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply Distribution and Prevention of Malpractices) order 2005. Dated 29 June 2017 of GoI, Ministry of Petroleum and Natural Gas. State Government hereby notified the following :-

1. In clause 4 (i) Collector shall be the authority for permitting retail selling of Bio-diesel (B-100) .
2. In clause 4 (x) Powers of entry, search, seizure etc in retail selling of Bio-diesel centers -

To ensuring of compliance with the provisions of Guidelines for sale of Bio-diesel for blending with High speed diesel for transporting purposes, 2019 any Officer of- The Food Civil Supplies and consumer protection Department, not below the rank of food inspector; or The Revenue Department, not below the rank of Naib Tehsildar; or The Police Department, not below the rank of Sub-Inspector; or any officer of an Oil Company or oil company authorised by the State Government who is not below the rank of sells Officer has entry, search, seizure etc in retail selling of Bio-diesel centers.

3. For the implementation of provision of clause 4 (xiv) online registration of Bio-diesel manufactures and supplies, from whom retailers of Bio-diesel shall be done in website of food civil supplies and consumer protection department. Then only they can supply Bio-diesel to the retailers.
4. In pursuance of clause 4(xvi) any grievance related to permission of retail selling by Bio-diesel. Shall be resolved by the applicate authority formed under the chairmanship of secretary, food, Director food and one representative of each oil company of public undertaking shall be the member of appealate authority.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
MANOJ KUMAR SONI, Special Secretary.